

कार्यालय आदेश

नगर निगम प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाईडलाइन के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय शाम 4:00 बजे तक खुले रहेंगे, वहीं सरकारी कार्यालयों में कम से कम लोगों की आवाजाही हो इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत आमजन से अपील की है कि नगर निगम में कई सेवाओं को ऑनलाइन किया है, इन ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाते हुए अपने आवेदन ऑनलाइन ही करें, साथ ही अति आवश्यक कार्य होने पर ही नगर निगम कार्यालय में आए।

जिन व्यक्तियों के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं हो तो वह फिलहाल कुछ दिनों के लिए नगर निगम कार्यालय आने से परहेज करें।

नगर निगम के कार्य से सम्बंधित यदि कोई शिकायत या आपत्ति हो तो वह इसके लिए हेल्पलाइन नम्बर 181 या टोल फ्री नम्बर 1800 891 3760 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होने के साथ ही उस शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

क्र. स.	कार्य आंदटन	अधिकारी का नाम
1	"नो मास्क - नो एंट्री" के नियम की सख्ती से पालना करवाई जाएगी।	श्री सलामतुल्लाह खान कार्यालय अधीक्षक
2	प्रत्येक विजिटर का आवक जावक रजिस्टर संधारित होगा।	
3	आगंतुक के आने का कारण और समय लिखा जाएगा।	
4	प्रत्येक विजिटर का टेंपरेचर भी नोट किया जाएगा।	

श्री सलामतुल्लाह खान, कार्यालय अधीक्षक उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रतिदिन अतिरिक्त आयुक्त को प्रेषित करेंगे।



(रोहिताश्व सिंह तोमर)

I.A.S

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर उत्तर

दिनांक:- 16-04-21

क्रमांक/सम/2021/2173 to 2178

1. महापौर/उप महापौर महोदय नगर निगम जोधपुर उत्तर।
2. अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर।
3. उपायुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर।
4. कार्यालय अधीक्षक नगर निगम जोधपुर उत्तर।
5. श्री नगर निगम जोधपुर उत्तर।
6. रक्षित पत्रावली।



आयुक्त

नगर निगम जोधपुर उत्तर